



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

Empowerment of Persons with Disabilities Department

Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. कुलपति | : | अध्यक्ष |
| 2. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण | : | सदस्य |
| 3. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य | : | सदस्य |
| 4. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य | : | सदस्य |
| 5. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य | : | सदस्य |
| 6. परीक्षा नियंत्रक | : | सदस्य |
| 7. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ | : | सदस्य |
| 8. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी। | : | सदस्य |
| 9. प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा। | : | सदस्य |
| 10. प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ। | : | सदस्य |

पत्रांक : COE-07/पत्रा.COE-31/DSMNRU/2020-21

दिनांक: 21 मई, 2020

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षा समिति की राप्तम् बैठक दिनांक 13.05.2020 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
के परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक दिनांक: 13 मई, 2020 का कार्यवृत्त

समय-	पूर्वाह्न 11: 00 बजे
स्थान-	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/7	परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:-परीक्षा समिति द्वारा षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/7	परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 13 मार्च, 2020 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। निर्णय:-परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया।
3/7	परास्नातक स्तरीय परीक्षाओं को विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराये जाने के संबंध में। निर्णय:-परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुए आगामी सत्रांत परीक्षा हेतु संबंधित प्रश्न-पत्र समस्त विषयाध्यापकों से बनवाए जाने तथा अतिथि-व्याख्याताओं से पृथक्-पृथक् दो प्रश्न-पत्र विभागाध्यक्षों की देख-रेख में निर्मित कराकर अतिथि-व्याख्याताओं से संकलित करते हुए अपने पास स्वयं संरक्षित रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि समस्त प्राश्निक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप पर टंकित किए गए प्रश्न-पत्रों को (शिक्षकवृन्द, विभागीय कार्यालय तथा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के पारस्परिक सहयोग से) निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त परास्नातक स्तरीय परीक्षाओं के सफल संचालन एवं मूल्यांकन हेतु विभागाध्यक्ष पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
4/7	शैक्षिक सत्र (2019-20) की सत्रान्त परीक्षा को प्रतिदिन तीन पालियों में सम्पन्न कराये जाने के संबंध में। निर्णय:-परीक्षा समिति ने यू०जी०सी० द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत परामर्शों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में सम्पन्न होने वाली परीक्षाओं की समयावधि तीन घण्टे से घटाकर दो घण्टे करते हुए प्रतिदिन तीन पालियों में स्नातक व डिप्लोमा अन्तिम अधिसत्र तथा परास्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ अधिसत्र के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। श्रुतिलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा अन्य अनुमन्य दिव्यांग विद्यार्थियों को पूर्व की ही भाँति दो घण्टे के सापेक्ष 40 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गयी तथा परास्नातक पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं को उन्हीं कक्षाओं में सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिन कक्षाओं में उनका शिक्षण कार्य सम्पादित किया जाता है। 01 जुलाई, 2020 से आगामी सत्रांत परीक्षाओं के सफल एवं सुगम संचालन हेतु तीन पालियों हेतु 03 केन्द्राध्यक्ष, 06 सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा 03 पर्यवेक्षक नामित किये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

	जिन-जिन विभागों में एसाइनमेंट और प्रेजेन्टेशन की परीक्षाएं सम्पादित नहीं हो पायी थीं उनको परीक्षाओं की अवधि के दौरान अथवा परीक्षा समाप्ति के उपरांत कराये जाने पर भी विचारोपरांत निर्णय लिया गया।
5/7	शैक्षिक सत्र (2019-20) की सत्रान्त परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र प्रारूप में परिवर्तन किये जाने के संबंध में। निर्णय:—सत्रांत/अधिसत्र परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रश्न-पत्रों की प्रकृति, पूर्णांक तथा तीनों खण्डों में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना अंकों के वितरण, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विमर्शोपरांत यथावांछित निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :— क) 70 अंक पूर्णांक हेतु सम्पन्न होने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में पूर्व की भाँति तीन खण्डों में प्रश्न पूछे जायेंगे। खण्ड-अ के अन्तर्गत 04 अंक के अनिवार्य 05 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खण्ड-ब के अन्तर्गत 10 अंक के 04 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से विद्यार्थियों को 02 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम् 150 शब्द सीमा में देना होगा। खण्ड-स के अन्तर्गत 15 अंक के विवरणात्मक श्रेणी के विद्यार्थियों से पूछे गये 03 प्रश्नों में से 02 प्रश्नों का उत्तर उन्हें अधिकतम् 250 शब्द सीमा में देना होगा। ख) 35 अंक पूर्णांक हेतु सम्पन्न होने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में पूर्व की भाँति तीन खण्डों में प्रश्न पूछे जायेंगे। खण्ड-अ के अन्तर्गत 02 अंक के अनिवार्य 05 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खण्ड-ब के अन्तर्गत 02 अंक के 05 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर अधिकतम् 100 शब्द सीमा में देना होगा। खण्ड-स के अन्तर्गत 7.5 अंक के 02 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर अधिकतम् 150 शब्द सीमा में देना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष द्वारा 01 जुलाई, 2020 से प्रास्तावित आगामी सत्रांत परीक्षाओं हेतु सी0एस0 एण्ड आई0टी0 के परास्नातक पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्नातक स्तर की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं सम्पादित करायी जा सकती है।
6/7	उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में। निर्णय:—विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संकायाध्यक्ष तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। शेष पाठ्यक्रमों में डिजिटल मूल्यांकन भविष्य में अपनाये जाने की योजना के दृष्टिगत शिक्षकवृन्द को प्रशिक्षित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। परीक्षा समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की पद्धति को आधारभूत संरचनाओं एवं तकनीकी विशेषताओं के आधार पर परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान सत्र में तथा भविष्य में अपनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
7/7	संशोधित परीक्षा नियमावली, 2020 पर विचार-विमर्शोपरांत अंगीकृत किये जाने के संबंध में। निर्णय:—परीक्षा समिति द्वारा संशोधित परीक्षा नियमावली, 2020 पर सम्यक् विचारोपरांत उसे शुल्क एवं पारिश्रमिक/मानदेय सम्बन्धी परिशिष्टों को छोड़कर समग्र रूप में अंगीकृत किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।
8/7	स्पेशल बैक पेपर परीक्षा की छूटी हुई परीक्षाओं को पुनः सम्पन्न कराये जाने के संबंध में। निर्णय:— स्पेशल बैक पेपर परीक्षा की छूटी हुई परीक्षा को माह जुलाई, 2020 में पूर्व की भाँति ही निर्धारित तिथियों में (19.07.2020 से 31.07.2020) कराये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
9/7	स्नातक स्तर पर अंतिम अधिसत्र से इतर विद्यार्थियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में

	विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्था के संबंध में।
	निर्णय:—परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी परीक्षा समिति में रखने तथा वर्तमान में स्थगित करने पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया।
10/7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
	उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त बिन्दु के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
	परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों एवं निर्णयों पर उत्पन्न होने वाली किसी भी संशय अथवा आकस्मिकता की स्थिति के दृष्टिगत, निर्णय लेने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।


 (Amit Kumar Singh) (प्रो० आर.के.पी. सिंह)
 Registrar कुलपति
 Dr. Shakuntala Misra डॉ. शकुन्तला मिश्रा
 National Rehabilitation University पुनर्वास विश्वविद्यालय
 Lucknow लखनऊ